5000Rs.

दस्तावेज वगैरह 5

मुकाम

दस्तावेज की तफसील तारीख व कीमत तथा दस्तखत तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया हो जो जिनके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके पर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2		
संतोष कुमार केता 234000	2042	

24 OCT 2002 उप-पंजीयक

||||श्री||||

कृषि भूमि विक्रय पत्र कीमती १,००,०००) रुपया(एक लाख रुपया)
बाजारु मूल्य - २,३४०००) रुपया(दो लाख चौंतीस हजार रुपया)
स्टाम्प ड्यूटी - १८७२०-०० रुपया (अठारह हजार सातसो बीस रुपया)
पंचायत डि० २३४०-०० रुपया(तेईस सो चालीस रुपया)
[illegible] डि० २३४०-०० रुपया(तेईस सो चालीस रुपया)
उपकर डि० ९४०-०० रुपया(नो सौ चालीस रुपया)

243540-20

विक्रय कृषि भूमि स्थित ग्राम फतेहपुर पट० ह० न० ५० रा० नि० म० २ शिवपुरी विकास खण्ड तहसील व जिला शिवपुरी जिसकी भू- अधिकार ऋण पुस्तिका क्र० ९३३९६ है।

नाम विक्रेता :- सन्तोष कुमार पुत्र श्री मनोहरलाल मेहता आयु ५९ वर्ष निवासी न्यू ब्लाक शिवपुरी जिला शिवपुरी म०प्र०।

नाम क्रेता :- तिषिर शिक्षा प्रसार समिति फतेहपुर रोड शिवपुरी द्वारा अध्यक्ष - अशोक ठाकुर पुत्र श्री सुमान सिंह आयु ३२ वर्ष निवासी फतेहपुर तहसील व जिला शिवपुरी म०प्र०।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गयी :-विक्रय कृषि भूमि स्थित ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला शिवपुरी जिसका सर्वे न० २३०।२ मिन २ रकबा १५ बीघा १४ बिस्वा १० बिस्वांसी यानी ३-२८७ हेक्टर लगानी ३-४७ पैसे मे से ९ बीघा १२ बिस्वा यानी १-९९० हेक्टर भूमि को विक्रय किया गया है।

2399
28/10/02

21 OCT

याचिकाकर्ता :- सन्तोष कुमार पुत्र मनोहरलाल पेशा [illegible] निवासी [illegible]
[illegible]

नाम [illegible] :- [illegible]
[illegible]
[illegible]

सन्तोष कुमार

विवाद पर कीमत (६,००,०००) लगभग
बाजार मूल्य (६,००००) लगभग

सन्तोष कुमार पुत्र मनोहरलाल

[illegible] शिवपुरी जिला
[illegible] के कार्यालय
24 OCT 2002
1=35

[illegible]लाल श्रीवास्तव
[illegible] शिवपुरी

शिवपुरी

सन्तोष कुमार

18720 —
2340 —
2340 —
940 —

24340 =

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

||||२||||

विक्रय भूमि की चतुः सीमा के पूर्व मे भूमि शम्भाजी राव भौसले , पश्चिम मे भूमि अशोक ठाकुर , उत्तर मे शासकीय भूमि , दक्षिण मे शेषभूमि विक्रेता की है। विक्रय भूमि मे कुआ , वृक्ष , फसल आवादी नही है। विक्रय भूमि असिंचित है। जो ए० वी० रोड से लगभग १ कि० मी० दूर है । उक्त भूमि किसी न्यायालीन कार्यवाही मेविचाराधीन नही है न ही किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। भूमि सरवकुलर रोड से लगभग १।। कि० मी० अन्दर है। उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिये उपरोक्त भूमि विक्रय कर रहा हूं।

विक्रय की समस्त धनराशि १,००,०००) रुपया(एक लाख रुपया) मुझ विक्रेता ने क्रेता महोदय से पूर्व मे ही नगद चुकता प्राप्त कर लीअब कोई धनराशि क्रेता से लेना शेष नही रहा है।

जोकि उपरोक्त मेविवरण अंकित कृषि भूमिस्थित ग्राम फतेहपुर तहसील वजिलाशिवपुरीजिसका विवरण प्रष्ठ न०१व२ परदियागया हैजिसका मै विक्रेता एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी हूं उसमे सिवाये मेरे अन्यकिसी का कोई हक हिस्सा नही है वह कही विक्रय, बंधक, दान, वसीयत आदिद्वारा हस्तान्तरित नही है तथा शासकीय कागजातो मे मुझ विक्रेता के नामसे अंकित है।

2399

28/10/02

[illegible] s. [illegible]

[illegible] :- [illegible] कुमार, पुत्र [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] :- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (1,00,000) [illegible]

[illegible] (10000) [illegible]

सन्तोष कुमार पुत्र मनोहरलाल मिश्र

[illegible] शिवपुरी जिल्ला

[illegible] कार्यालय

24 OCT 2002

1=35

[illegible] शिवपुरी

18,720 —

2340 —

2340 —

940 —

24340 —

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

||||२||||

विक्रय भूमि की चतुः सीमा के पूर्व मे भूमि शम्भाजी राव भोंसले , पश्चिम मे भूमि अशोक ठाकुर , उत्तर मे शासकीय भूमि , दक्षिण मे शेषभूमि विक्रेता की है। विक्रय भूमि मे कुआ , वृक्ष , फसल आवादी नही है। विक्रय भूमि असिंचित है। जो ए० बी० रोड से लगभग १ कि० मी० दूर है । उक्त भूमि किसी न्यायालीन कार्यवाही मे विचाराधीन नही है न ही किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। भूमि सखपुर रोड से लगभग १।। कि० मी० अन्दर है। उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिये उपरोक्त भूमि विक्रय कर रहा हूं।

विक्रय की समस्त धनराशि १,००,०००) रुपया(एक लाख रुपया) मुफविक्रेता ने क्रेता महोदय से पूर्व मे ही नगद चुकता प्राप्त कर लीअब कोई धनराशि क्रेता से लेना शेष नही रहा है।

जोकि उपरोक्त मेविवरण अंकित कृषि भूमिस्थित ग्राम फतेहपुर तहसील वजिलाशिवपुरीजिसका विवरण प्रष्ठ न०१वर परदियागया हैजिसका मै विक्रेता एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी हूं उसमे सिवाये मेरे अन्यकिसी का कोई हक हिस्सा नही है वह कही विक्रय, बंधक, दान, वसीयत आदिद्वारा हस्तान्तरित नही है तथा शासकीय कागजातो मे मुफ विक्रेता के नामसे अंकित है।

[signature]

2392
28/9/002

जिला कोषागार सिवान
21 OCT 2002
S. B. R.

[illegible] :- सन्तोष कुमार पुत्र मनोहरलाल [illegible] निवासी न्यू [illegible] सिवान।

[illegible] :- [illegible]

[illegible]

सन्तोष कुमार मेहता [illegible] ९,००,०००) रुपया

[illegible] २,१२०००) रुपया

[illegible]

सन्तोष कुमार S/o मनोहरलाल मेहता
निवासी न्यू [illegible] सिवान

[illegible]

सिवान [illegible]

[illegible] 1,00,000/- [illegible]

[illegible]

1. प्रेमनारायण शर्मा S/o [illegible] प्रसाद [illegible] सिवान

2. अनिल [illegible] S/o [illegible] [illegible]

सिवान [illegible] 2002

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

इसलिये उपरोक्त मेंविवरण अंकित कृषि भूमि को उसके समस्त प्रकार के स्वत्वों सहित क्रेता केहित मे कतई विक्रय कर दी चूकता धनराशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली जो स्वामी स्वत्व विक्रय शुदा भूमि पर मुझे प्राप्त थे वहसारे स्वत्व क्रेता को अन्तारित करादये तथा क्रेता को मोके पर पहिचान कराकर कब्जा भी सोपदिया है अब क्रेता उक्त भूमि काउपयोग व उपभोग करे वह उसके लिये स्वतंत्र है। यदि मुझ विक्रेता के वैधानिक अधिकार दोष के कारण भूमि क्रेता के अधिकार व आधिपत्य सेनिकलजावे तो क्रेता मय क्रय धन के नियमानुसार वसूल कर लेवे। यदिरजिष्ट्रीदिनांक के पूर्व का शासकीय अथवा अशासकीय रिणभार देयअवशेष निकलेगा तोउसकी जवाबदारी मुझ विक्रेता की होगी। रजिष्ट्रीदिनांकसे हर प्रकार का लगान क्रेता अदा करेगा। अब विक्रय शुदा भूमि पर से मुझ विक्रेता का या मेरे वारिशानो आदि काकिसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीरहा है नही रहा है न भविष्य मे रहेगा। तथा शासकीय कागजातो मे मुझविक्रेता के स्थानपर क्रेता केनाम कानामान्तरण करादिया जा

नोट- उक्त भूमिकिसी देव स्थान शासकीय पट्टे भूदान आदि कीनहीहै। तथा म०प्र०भू० रा० संहिता की धारा १६५ काउल्लंघन नहीं होता है।

2292
28/10/02

नाम विक्रेता :- सन्तोष कुमार पुत्र मनोहरलाल मिश्रा निवासी [illegible]
[illegible] मिर्जापुर

नाम क्रेता :- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मिर्जापुर द्वारा
[illegible] [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] [illegible]
[illegible] मिर्जापुर

विक्रय पत्र मालियत १,००,०००) रुपया
बाजार मूल्य १,४४०००) रुपया

[illegible] श्रीवास्तव
[illegible] वेन्डर कोर्ट रोड के पास, मिर्जापुर

सन्तोष कुमार

24 OCT 2002

24 OCT 2002

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.　　Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये　FIVE THOUSAND RUPEES

||||४||||

अत :यह विक्रय पत्र मुफ विक्रेता ने अपनी स्वेच्छा से विना किसी अनुचित प्रभाव के सावधानी की अवस्था में स्थिर बुद्धि द्वारा सम्पादित कर दिया कि प्रमाणित रहे समय पर काम आवे। इति दि० - २४-१०-२००२

ड्राफ्टेड - के० के० सोनी एडवोकेट शिवपुरी [signature] 24/10/2002

हस्ताक्षर विक्रेता

[signature]

साक्षीगण

(१) - - - - - - - - [signature]

(२) - - [signature]

प्रेमनारायण शर्मा S/O
ज्वाला प्रसाद
नि. [illegible]

अनिल ठाकुर S/O
रघुनाथ सिंह
[illegible]

22378
28/10/02

नामविक्रेता :- संतोष कुमार पुत्र मनोहरलाल मेहता निवासी न्यू ब्लाक शिवपुरी।

नाम क्रेता :- शिवपुरी जिला प्रसार समिति फतेहपुरसिंह शिवपुरी द्वारा अध्यक्ष अशोक ठाकुर पुत्र कृपालसिंह ठाकुर निवासी फतेहपुर रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी।

विक्रय पत्र कीमत ६,००,०००) रुपया

बाजार मूल्य २,४८०००) रुपया

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२० रु.

20 RS

TWENTY RUPEES

2322
28/8/07

नामांकिता :- सन्तोष कुमारी [illegible] श्री मनोहरलाल मैड़ा निवासी न्यू ब्लाक शिवपुरी।

नाम क्रेता :- तिलहर जिला प्रसार समिति फतेहपुररोड शिवपुरी द्वारा अध्यक्ष अशोक ठाकुर पुत्र [illegible] ठाकुर निवासी फतेहपुर शिवपुरी।

बिक्रय पत्र ६,००,०००) रुपया
बाजार मूल्य २,४४०००) रुपया

[illegible] श्रीवास्तव
स्टाम्प वेन्डर [illegible] शिवपुरी

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

प्रकरण क्रमांक :— 223/08—09/अ—2

तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी

..............आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

............अनावेदक

// आदेश //

(दिनांक 16-3-2009 को पारित)

आवेदक तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी के द्वारा मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत एक आवेदन पेश कर ग्राम फतेहपुर तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 230/2 मिन 3 रकबा 22500 वर्गफीट भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर उपसंचालक, नगर एवं ग्राम निवेश गुना एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी का अभिमत लिया गया। उपसंचालक, नगर एवं ग्राम निवेश गुना, की ओर से भूमि व्यपवर्तन के सम्बन्ध में अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है ,जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी से व्यपवर्तन के सम्बन्ध में अभिमत प्राप्त। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन शिवपुरी से भूमि व्यपवर्तन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन लिया गया।

राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन शिवपुरी ने प्रस्तावित भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रीमियम एवं भू—भाटक का प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत किया है। उन्होनें आवेदित भूमि को धारण करने वाले आवेदक तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी के नाम स्वामित्व पर दर्ज होना प्रतिवेदित किया है, साथ ही वादग्रस्त भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन से डायवर्सन किये जाने के सम्बन्ध में भी अभिमत दर्ज किया गया है।

मेरे द्वारा संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होकर व्यपवर्तन योग्य है।

अतः राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन शिवपुरी के अभिमत के आधार पर मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं सहपठित धारा 172 (1) के तहत निम्न शर्तो के अधीन प्रश्नाधीन भूमि का व्यवसायिक उददेश्य से व्यपवर्तन आवेदक हित में मंजूर किया जाता है :--

1. ग्राम फतेहपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 230/2 मिन 3 रकबा 22500 वर्गफीट भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन पुनः निर्धारण (भूभाटक) रुपये 20250—00 एवं प्रीमियम 20925—00 वर्ष 2008—09 कायम किया जाता है, जो नियमानुसार प्रति वर्ष भुगतान करना होगा।
2. आवेदक को निर्माण की अनुज्ञा मुख्य नगर पलिका अधिकारी शिवपुरी से विधिवत प्राप्त करनी होगी।
3. भवन निर्माण के पूर्व नजूल अधिकारी शिवपुरी से शासकीय भूमि सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र लेना होगा।
4. आवेदक को राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर एवं लोक निर्माण विभाग के मानदण्डों के

सत्य प्रतिलिपि

अनुसार भूमि छोड़कर निर्माण प्रयोजन हेतु कार्य करना होगा।

5. आवेदक प्रस्तावित भूमि पर निर्माण के दौरान शासकीय भूमि की ओर दरवाजे तथा खिडकियाँ नही निकालेंगे।

6. आवेदक को निर्माण के पूर्व मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत विकास अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी और व्यपवर्तन हेतु दिए गए अभिमत में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।

7. आवेदक कों म0प्र0 नगर पालिका कोलोनाईजर का रजिस्टीकरण निर्बंधन ,शर्तें एवं नियम 1998 के प्रावधानों का पालन करना होगा ।

8. राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन निर्धारण पंजी में अमल करें।

9. आदेश पारित एवं घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी
शिवपुरी

113—
[illegible]

सत्य प्रतिलिपि
S.D. 31-12-14
प्रभारी प्रतिलिपिक
[illegible] कार्यालय शिवपुरी (म. प्र.)

Diversion2

Sudhir

प्रतिलिपि

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

प्रकरण क्रमांक :— 224/08—09/अ—2

तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी

................आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

.............अनावेदक

// आदेश //

(दिनांक 16.3.2009 को पारित)

आवेदक तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी के द्वारा मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत एक आवेदन पेश कर ग्राम फतेहपुर तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 230/2 मिन 3 रकबा 22500 वर्गफीट भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर उपसंचालक, नगर एवं ग्राम निवेश गुना एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी का अभिमत लिया गया। उपसंचालक, नगर एवं ग्राम निवेश गुना, की ओर से भूमि व्यपवर्तन के सम्बन्ध में अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है ,जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी से व्यपवर्तन के सम्बन्ध में अभिमत प्राप्त। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन शिवपुरी से भूमि व्यपवर्तन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन लिया गया।

राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन शिवपुरी ने प्रस्तावित भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रीमियम एवं भू—भाटक का प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत किया है। उन्होनें आवेदित भूमि को धारण करने वाले आवेदक तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी के नाम स्वामित्व पर दर्ज होना प्रतिवेदित किया है, साथ ही वादग्रस्त भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन से डायवर्सन किये जाने के सम्बन्ध में भी अभिमत दर्ज किया गया है।

मेरे द्वारा संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक तिषिर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अशोक ठाकुर पुत्र श्री खुमान सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होकर व्यपवर्तन योग्य है।

अतः राजस्व निरीक्षक व्यपदर्तन शिवपुरी के अभिमत के आधार पर मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं सहपठित धारा 172 (1) के तहत निम्न शर्तो के अधीन प्रश्नाधीन भूमि का व्यवसायिक उददेश्य से व्यपवर्तन आवेदक हित में मंजूर किया जाता है :—

1. ग्राम फतेहपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 230/2 मिन 3 रकबा 22500 वर्गफीट भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन पुनः निर्धारण (भूभाटक) रुपये 20250—00 एवं प्रीमियम 20925—00 वर्ष 2008—09 कायम किया जाता है, जो नियमानुसार प्रति वर्ष भुगतान करना होगा।
2. आवेदक को निर्माण की अनुज्ञा मुख्य नगर पलिका अधिकारी शिवपुरी से विधिवत प्राप्त करनी होगी।
3. भवन निर्माण के पूर्व नजूल अधिकारी शिवपुरी से शासकीय भूमि सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र लेना होगा।
4. आवेदक को राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर एवं लोक निर्माण विभाग के मानदण्डों के

सत्य प्रतिलिपि

Diversion1

Sudhir

अनुसार भूमि छोड़ कर निर्माण प्रयोजन हेतु कार्य करना होगा।

5. आवेदक प्रस्तावित भूमि पर निर्माण के दौरान शासकीय भूमि की ओर दरवाजे तथा खिडकियां नही निकालेंगे।

6. आवेदक को निर्माण के पूर्व मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत विकास अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी और व्यपवर्तन हेतु दिए गए अभिमत में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।

7. आवेदक को म0प्र0 नगर पालिका कोलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन शर्तें एवं नियम 1998 के प्रावधानों का पालन करना होगा ।

8. राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन निर्धारण पंजी में अमल करें।

9. आदेश पारित एवं घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी
शिवपुरी

सत्य प्रतिलिपि

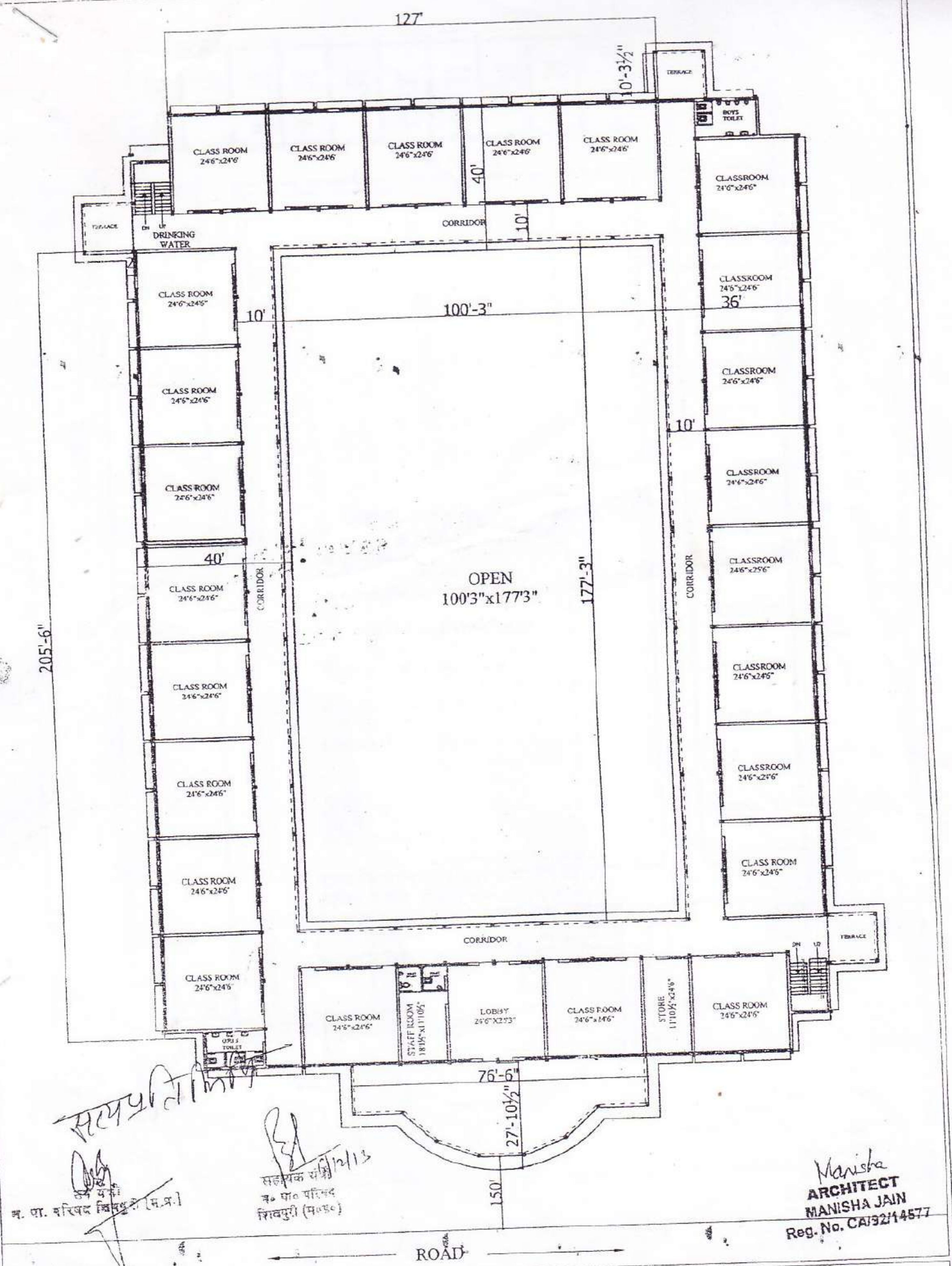

(ALL DIMENTION ARE IN FEET/INCHES)
THESE DRAWINGS ARE NOT FOR ANY COURT CASE OR LEGAL PURPOSE

PRESIDENT : MR. ASHOK THAKUR, TISHIR SHIKSHA PRASAR SAMITI, SPS ACADAMY, FATEHPURE RAOD, SURVEY NO. 230/2 MIN 03, SHIVPURI, M.P.	FIRST FLOOR DATE 07 - 02 - 12	TOTAL LAND AREA 1.17 Ha/5.6 Bigha 1,26,000.00 SQFT EXISTING G.F. AREA 27,671.00 SQFT PROPOSED F.F. AREA 27,671.00 SQFT TOTAL CONST. AREA 55,342.00 SQFT	AALAY - *The designers* NEW BLOCK SHIVPURI PHONE: 403618,234083

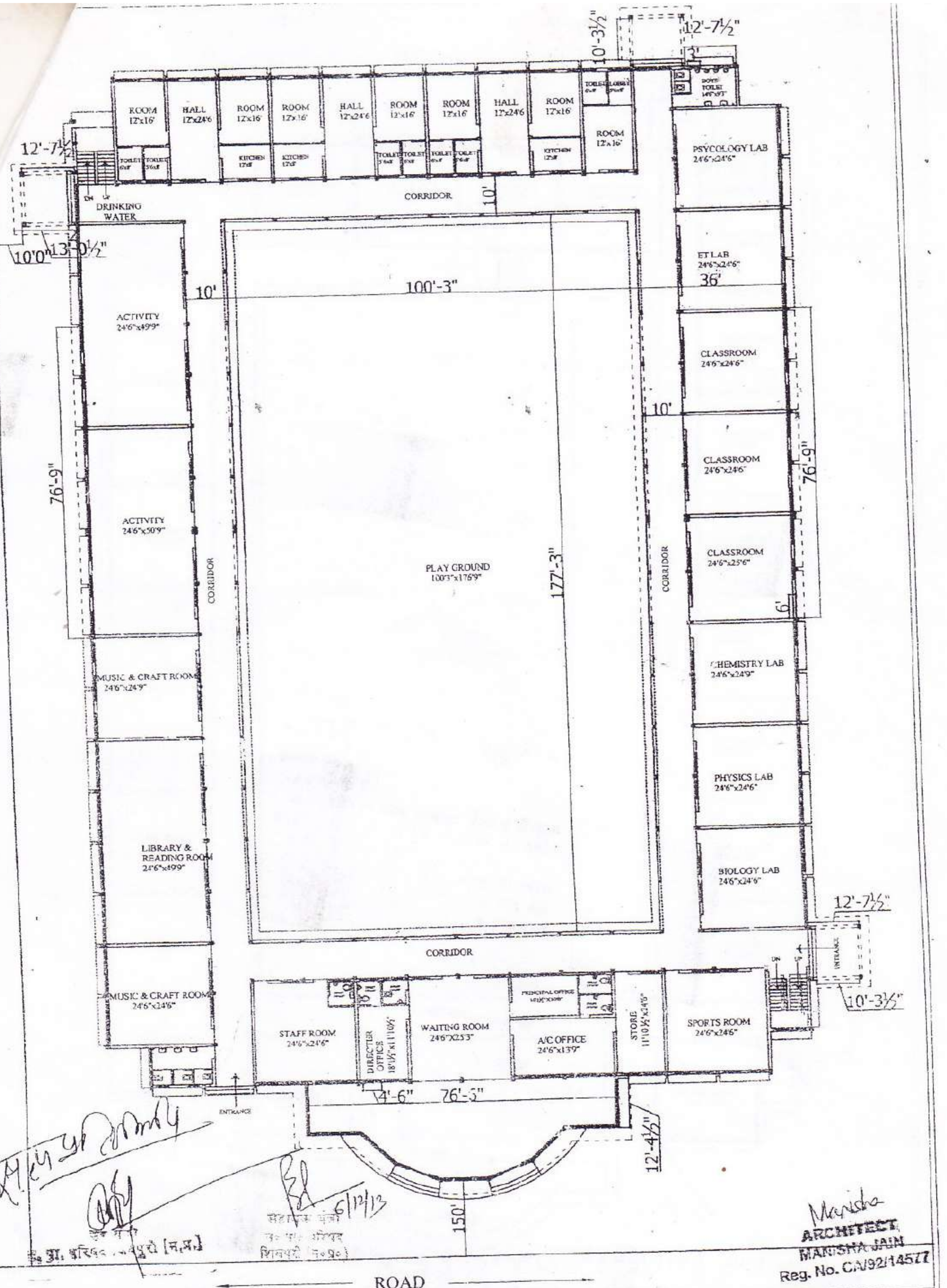

Manisha
ARCHITECT
MANISHA JAIN
Reg. No. CA/92/14577

(ALL DIMENSION ARE IN FEET INCHES)
THESE DRAWINGS ARE NOT FOR ANY COURT USE OR LEGAL PURPOSE

PRESIDENT-: MR. ASHOK THAKUR,
TISHIR SHIKSHA PRASAR SAMITI,
SPS ACADAMY, FATEHPURE RAOD,
SURVEY NO. 230/2 MIN 03, SHIVPURI, M.P.

GROUND FLOOR
DATE
12 - 06 - 10

TOTAL LAND AREA	1.17 Ha/5.6 Bigha 126,000.00 SQFT
EXISTING G.F. AREA	20,361.68 SQFT
PROPOSED G.F. AREA	7309.32 SQFT
TOTAL G.F. AREA	27,671.00 SQFT

AALAY - The designers
NEW BLOCK SHIVPURI
PHONE: 403618,234083
DEALT BY: Harivansh